निरीक्षण प्रतिवेदन

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पद : डॉ प्रियंका भट्ट
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर

प्रन्यास का नाम : भँवर माता दर्शनीय स्थल विकास एवं सेवा ट्रस्ट, छोटीसादडी चित्तौडगढ

निरीक्षण दिनांक : 18.04.2019

दिनांक 18.04.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भँवर माता दर्शनीय स्थल विकास एवं सेवा ट्रस्ट, छोटीसादडी चित्तौडगढ वर्तमान में जिला प्रतापगढ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस प्रन्यास का राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत दिनांक 23.04.2001 को विभाग द्वारा किया गया जिसके पंजीयन क्रमांक 01/देव/उदय/चित्तौड/2001 है।

वक्त निरीक्षण उक्त मंदिर के पुजारी श्री अरविन्द औदिच्य एवं प्रन्यास की ओर से श्री प्रहलाद साहू उपस्थित मिले। निज मंदिर मौके पर बन्द होकर सील किया हुआ था, पुजारी द्वारा बताया गया कि मंदिर न्यायालय के आदेश की पालना में सील बन्द कर रखा है, वक्त निरीक्षण उक्त आदेश की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

मंदिर प्रन्यास में 2 भेंट पेटी है जो पुजारी एवं प्रन्यास द्वारा पृथक–पृथक लगा रखी है। प्रन्यास द्वारा लगाई गई पेटी साईड में रखी हुई थी। जानकारी करनें पर पुजारी द्वारा बताया गया कि प्रन्यास द्वारा प्राप्त भेंट का उपयोग मंदिर विकास हेतु नही किया जा रहा है ना ही भोग हेतु काई सामग्री दी जाती है, अतः उक्त पेटी कबुतरों दानें मंदिर मंदिर व्यवस्था हेतु लगा रखी है।

वक्त निरीक्षण पुजारी द्वारा अवगत कराया गया कि मंदिर में सेवा पूजा हेतु प्रन्यास द्वारा पृथक से कमरा नही दिया गया है, जिससे सेवापूजा की सामग्री रखनें में कठिनाई होती है। उक्त संबंध में प्रन्यास की ओर से उपस्थित श्री साहू से जानकारी करनें पर उनके द्वारा आगामी बैठक में प्रस्ताव रखकर कार्यवाही करनें हेतु कहा गया। जहॉ तक पुजारी को कमरा देना व पुजारियों द्वारा लगाई गई भेंट पेटी हटानें के संबंध में उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की जाकर इसका निस्तारण किया जावे।

मंदिर पुजारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रन्यास द्वारा आयोजित बैठकों में पुजारी को सम्मिलित नही किया जाता है न ही भेंट पात्र खोलते समय उन्हे सूचित

Scanned by CamScanner

किया जाता है, जबकि वे भी उक्त ट्रस्ट में सदस्य है। उक्त संबंध में प्रन्यास को कहे जानें पर उनके द्वारा बताया गया कि मंदिर में ओसरेवार पुजारी सेवा करतें है जिससे व्यक्तिशः बुलाया जाना संभव नही है। इस हेतु पुजारी को ओसरेवार सजरा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, तथा ट्रस्ट को पाबन्द किया गया कि वे ओसरेदार पुजारी को बैठक में बुलावे।

वक्त निरीक्षण प्रन्यास द्वारा अवगत कराया गया कि अंतिम बार भेंट पेटी दिनांक 29.03.2019 को खोली जाकर कुल राशी 25400/– निकली जिसकी रसीद का अवलोकन किया गया। ट्रस्ट को यह निर्देशित किया जाता है कि वह हर माह दिनांक निर्धारित कर तहसीलदार/प्रतिनिधि व ओसरेदार पुजारी की उपस्थिति में ही भेंट पेटी को खोंले। इसके अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों का अवलोकन हेतु दिनांक 13.05.2019 अथवा14.05.2019 को कार्यालय में उपस्थित होनें के निर्देश दिये गये। किन्तु श्री प्रहलाद साहू द्वारा उपस्थित होकर दिनांक 24.05.2019 को दस्तावेज उपलब्ध करानें हेतु निवेदन किया गया।

भॅवरमाता मंदिर एक दर्शनीय स्थान होकर प्राकृतिक सुन्दरता लिये हुए रमणीय स्थल है। किन्तु ट्रस्ट व पुजारियों के आपसी झगडों के कारण मंदिर का विकास नही हो रहा है, तथा मंदिर के प्रति स्थानीय एवं बाहरी दर्शनार्थीयों की रुचि कम होती जा रही है, साथ ही आपसी झगडो के कारण स्थान की कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है तथा मंदिर मर्यादा पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है।

सामान्य (निरीक्षण) 4 14.5.19

–ह०–
(डा प्रियंका भट्ट)
सहायक आयुक्त

क्रमांक :–एफ ( )निरी/देव/2016/1302-7 दिनांक :– 13/5/19

प्रतिलिपी – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

01. शासन सचिव महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान जयपुर
02. आयुक्त महोदय देवस्थान विभाग राजस्थान–उदयपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, प्रतापगढ
04. उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
05. कार्यवाहक प्रन्यासी भॅवर माता दर्शनीय स्थल विकास एवं सेवा ट्रस्ट, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
06. पुजारी, भॅवर माता मंदिर, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

(डा प्रियंका भट्ट)
सहायक आयुक्त

586
15-5-19

Scanned by CamScanner